

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1001
गुरुवार, दिनांक 08 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

1001. श्री कुरुवा गोरान्तला माधवः

श्री एन. रेड्डप्पः

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा देश में और अधिक संख्या में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने के लिए उठाए गए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य में ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापित क्षमता का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

- (क) से (ग): देश में अधिक संख्या में सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे उपार्यों का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।
- (घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य में ग्रिड कनेक्टेड सौर विद्युत परियोजनाओं की जिला-वार स्थापित क्षमता अनुलग्नक-II में दी गई है।

‘सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 08.02.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1001 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

देश में सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा

- ओटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,
- 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारिषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को साफ करना,
- वर्ष 2029-30 तक के लिए अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रेजेक्ट्री की घोषणा करना,
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनजी कॉरिडोर योजना के तहत नई पारिषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता तैयार करना,
- सौर फोटोवोल्टेक प्रणालियों/उपकरणों की स्थापना के लिए मानकों को अधिसूचित करना,
- निवेशों को आकर्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना करना,
- ग्रिड संबद्ध सौर पीवी परियोजनाओं और पवन विद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश,
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट-एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके,
- हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियमावली, 2022 के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना जारी करना,
- “विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियमावली (एलपीएस नियमावली)” को अधिसूचित करना,
- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम) की शुरुआत की गई,
- वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए निर्धारित ट्रेजेक्ट्री को अधिसूचित करना। इस ट्रेजेक्ट्री के तहत, प्रति वर्ष 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बोलियां जारी की जाएंगी,
- राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत, जहाँ पर देश के किसी भी भाग से आवासीय उपभोक्ता रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए आवेदन कर सकता है और कार्यक्रम के तहत अपने बैंक खाते में सीधे सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं,
- डिस्कॉम स्तर पर ऑनलाइन पोर्टल और आरटीएस परियोजनाओं से संबंधित मांग समेकन का विकास,
- 500 किलोवाट तक के नेट मीटरिंग या विद्युत स्वीकृत लोड, जो भी कम हो, के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियमावली, 2020 जारी की गई,
- सौर फोटोवोल्टेक प्रणालियों/उपकरणों की स्थापना के लिए गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए,
- विभिन्न माध्यमों से सूचना एवं जन-जागरूकता गतिविधियाँ।

'सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 08.02.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1001 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

आन्ध्र प्रदेश राज्य में ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापित क्षमता का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	स्थापित क्षमता (मेगावाट में)
1	श्रीकाकुलम	34.06
2	विजयनगरम	27.15
3	विशाखापत्तनम	50.42
4	पूर्वी गोदावरी	11.15
5	पश्चिमी गोदावरी	16.47
6	कृष्णा	12.80
7	गुंटूर	16.00
8	प्रकाशम	27.10
9	नेल्लोर	54.30
10	चित्तूर	224.78
11	कडप्पा	788.28
12	कुरनूल	1204.00
13	अनंतपुरम	1830.77
	कुल	4297.28
